आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 37/2018–19
आवेदक– कमरुण बीबी
बनाम
विपक्षी– मो0 नासीर वगै0
आदेश

19.8.19 आवेदिका कमरुण बीबी पति मो0 सफीक, सा0– करणपुरा, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज के सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया है। आवेदिका के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत वाद की कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा का मांग की गई, तथा आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओ पर अंचल अधिकारी, तालझारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
बडा हरिणकोल	40	66	02–13–05 धूर

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका के पति के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा बडा हरिणकोल, दामिन कोह जमाबंदी नं0– 40, दाग नं0– 66 रकवा 02–13–05 धूर जमीन सफीक मियॉ को उसके मृत पिता– स्व0 रसूल मियॉ से ग्रामीणों के समक्ष दिनांक 03.04.1978 को दान पत्र केवाला के द्वारा प्राप्त किये है। जिसमें चार कियारी(खेत) है, जो अहस्तांतरणीय है। आवेदिका के पति कमजोर एवं बुर्जग व्यक्ति है। आवेदिका के पति की बिमारी अवस्था में मौजा बडा हरिणकोल के उक्त वर्णित कृषि योग्य जमीन को विपक्षीगण जबर्दस्ती बल पूर्वक हड़प लिये है। यद्यपि आवेदिका के पति ने विपक्षीगण को मौजा केलाबना के कृषि जमीन को दे दिये है, फिर भी विपक्षीगण उक्त वर्णित जमीन को पिछले दो वर्षो से बलपूर्वक हड़प लिये है। उक्त वर्णित जमीन पूर्ण रुप से कृषि योग्य जमीन है एवं पर्चा में धानी जमीन के रुप में उल्लेख किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रुप से कृषि भूमि को अतिक्रमण किये हुए है, को उच्छेद किया जाना है। उक्त वर्णित जमीन का आवेदिका के पति के द्वारा लगान भूगतान कर लगान रसीद प्राप्त कर रहे है। वर्णित जमीन आवेदिका एवं उसके पति के दखल में है।

अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये है।

जवाब में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदित जमीन का क्रय–विक्रय दान आदि कुछ भी नही हो सकता है, क्योकि यह जमीन अहस्तांतरणीय है। आवेदिका ने यह जमीन अनिबंधित दान–पत्र से प्राप्त किये है। दान–पत्र से जमीन प्राप्त करने का अधिकार कानुनी रुप से नही है। इस प्रकार आवेदिका का आवेदित जमीन पर स्वामित्व एवं अधिकार नही है। वर्णित जमीन मौजा बडा हरिणकोल की है, जो आवेदिका एवं विपक्षीगण के पूर्वजों की संयूक्त सम्पति है। उक्त वर्णित जमीन को लेकर दोनो पक्षों के बीच टाईटल सुट मुक्दमा 25/2010 अपर मुख्य न्याधीश, (सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम) के न्यायालय में चल रहा है, जिसका विचारण करीब समाप्त हो गया है, तथा निर्णय आने वाला है। यह वाद उच्छेदी का मामला वह भी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत तभी चल सकता है जब अवैध दखलकार व्यक्ति को बेदखल

Scanned with CamScanner

करना हो, जो कृषि के अनाधिकृत पूर्ण दखल में हो। यह वाद दोनो पक्षो के बीच उच्छेदी का नही हो सकता क्योकि दोनो पक्षो एक ही परिवार से है, तथा उक्त दोनो पक्षो के बीच टाईटिल सुट मुक्दमा भी चल रहा है, जो समाप्ति पर है।

अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 526/रा0, दिनांक 27.07.2019 के द्वारा जाँच पतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन मौजा बडा हरिणकोल थाना न0 01 के खाता सं0– 40, खेसरा न0 66 रकवा 02–13–05 धूर जमीन खतियान स्लीप में फुल कलाल वल्द वोजीर कलाल के नाम से दर्ज है। आवेदिका जमाबंदी रैयत फुलू कलाल की पौत्र वधु है। उक्त जमीन वर्त्तमान में आवेदिका के भोग–दखल में है।

आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में अनिबंधित दान–पत्र केवाला एवं सिविल जज प्रथम श्रेणी राजमहल के 25/2010 अफताब –बनाम– सफीक में ext A/1, A/2, A/3 का पंचायत नामा की छाया प्रति दाखिल किये है।

विपक्षीगण ने अपने दावे के समर्थन में T.P.S 25/2010 मो0 अफतब आलम –बनाम– सफीक आलम में Plant की अभिप्रमाणित छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुनने उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद है। यह मामला स्वत्व एवं अधिकार से संबधित है। अतएव वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner